संख्या:37/2019/112/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 15 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र-लखनऊ उत्तर, मलिहाबाद,सरोजनी नगर एवं लखनऊ पूर्वी से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1986.46 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1779.60 लाख (रूपये सत्रह करोड़ उन्यासी लाख साठ हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	लखनऊ उत्तर	वार्ड लाला लाजपत राय अलीगंज गोयल चौराहे से सिटी माण्टेसरी स्कूल को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य।	0.250	5.46	5.46
2	लखनऊ उत्तर	वार्ड जानपकीपुरम द्वितीय जानकीपुरम गार्डेन में गुडम्बा थाने के पीछे सेक्टर—जे चौराहे के पास से लक्ष्मीकान्त जैन के घर के सामाने होते हुए सुरभि संगीत विद्यालय के आगे तक सड़क नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य ।	0.350	42.39	42.39
3	लखनऊ उत्तर	वार्ड जानपकीपुरम प्रथम आदर्श विहार कालोनी (मडिगांव गांव) में बी0एस0चौहान क0 मकान क0 सामन0 स0 बाबा जगजीवन होटल तक सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.300	35.55	35.55
4	लखनऊ उत्तर	वार्ड फैजुल्लागंज द्वितीय श्याम विहार कालोनी में बुद्धा पब्लिक स्कूल क0 आग0 स0 जायसवाल जनरल स्टोर तक जान0वाली सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.650	80.52	80.52
5	लखनऊ उत्तर	वार्ड जानकीपुरम प्रथम नहर रोड स0 गड़रियनपुरवा जान0 वाला मुख्य मार्ग सड़क निर्माण कार्य	1.100	76.58	76.58
6	लखनऊ उत्तर	वार्ड फैजुल्लागंज प्रथम सक्षारा गौढ़ी में कृष्णा पब्लिक स्कूल क0 बगल स0तिवारी जनरल स्टोर क0 आग0तक सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.250	30.33	30.33
7	लखनऊ उत्तर	वार्ड फैजुल्लागंज द्वितीय नन्दपुरम मोहल्ल में भगवान बक्श सिंह कालज स0नाल0तक मुख्य सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.450	58.37	58.37

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
8	लखनऊ उत्तर	वार्ड जानकीपुरम प्रथम मोहल्ला सरस्वती में द्वारकीनन्दन मिश्रा का घर का सामन वाली सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.300	37.60	37.60
9	लखनऊ उत्तर	वार्ड फैजुल्लागंज द्वितीय ट्रांजिट हास्टल गाजीपुर, बलराम मुख्य मार्ग स योगी जी शिक्षण संस्थान को जान वाली सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.280	31.47	31.47
10	लखनऊ उत्तर	वार्ड फैजुल्लागंज द्वितीय मौर्या काम्पलेक्स स एम0डी0कान्वेंट स्कूल स होत हुए डुडौली को जान वाली मुख्य सड़क इण्टरलाकिंग कार्य।	1.150	38.04	38.04
11	लखनऊ उत्तर	वार्ड फैजुल्लागंज चतुर्थ बाग होटल चौराह स ट्रांसफार्मर होत हुए बाल निकेतन को जान वाली सड़क इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.500	63.16	63.16
		योग वि0स0 क्षेत्रलखनऊ उत्तर	**5.580**	**499.47**	**499.47**
12	मलिहाबाद	माल भरावल मार्ग पर स्थिति घटघटा बाबा स झिंनगी पुलिया होत हुए गॉव गोधन तक सड़क निर्माण कार्य विकास खण्ड माल।	2.970	210.49	105.24
13	मलिहाबाद	मनभौना स गांगन डामर रोड तक सड़क निर्माण कार्य विकास खण्ड माल।	1.800	125.27	125.27
14	मलिहाबाद	दुर्गागंज पट्रोल पम्प स रावव लाइन किनार स पुराना दुर्गागंज चौराह तक सड़क निर्माण कार्य, विकास खण्ड काकोरी।	0.850	38.66	38.66
15	मलिहाबाद	दुर्गागंज नहर पुलिया स काकोरी बहरू मार्ग पर स्थित ईदगाह तक सड़क निर्माण कार्य, विकास खण्ड काकोरी।	2.200	112.61	112.61
		योग वि0स0 क्षेत्र मलिहाबाद	**7.820**	**487.03**	**381.78**
16	सरोजनी नगर	ममौरा मार्ग(दिलीप सिंह का घर स) नन्हा पासी का मकान होत हुए बीवीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.300	95.24	95.24
17	सरोजनी नगर	ईटगॉव में स्वर्गीय गुरूप्रसाद तल्ली की चक्की स प्रारम्भ होकर हनुमान मंदिर तक सम्पर्क मार्ग।	0.320	36.86	36.86
18	सरोजनी नगर	रायबरेली राजमार्ग स प्रारम्भ होकर कल्ली पश्चिम एकतानगर नगर होत हुए पी0जी0आई0 की बाउण्ड्री तक मार्ग का निर्माण कार्य।	2.000	202.21	101.10
19	सरोजनी नगर	ईटगॉव स प्रारम्भ होकर असर खड्डा तक सम्पर्क मार्ग।	1.660	41.30	41.30
20	सरोजनी नगर	बचानखड्डा मार्ग स गढ़ी चुनौटी होत हुए नटखड्डा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	0.820	62.69	62.69
21	सरोजनी नगर	मोहान काकोरी मुख्य मार्ग स मर्दनखड्डा होत हुए ग्राम गौरी तक मार्ग का निर्माण	1.200	61.17	61.17
		योग वि0स0 क्षेत्र सरोजनीनगर	**7.300**	**499.47**	**398.36**
22	लखनऊ पूर्वी	इंदिरा नगर में 13/520 स 13/531 व लक्ष्मी ब्यूटीपार्लर तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.300	18.61	18.61
23	लखनऊ पूर्वी	ज्ञान बिहार कामता में मेडिकल स्टोर स तिवारी जी का घर तक इन्टरलांकिंग कार्य	0.250	32.72	32.72
24	लखनऊ पूर्वी	इंदिरा नगर में ए 967 स 967/23 तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.380	18.82	18.82

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in स सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
25	लखनऊ पूर्वी	बजरंग बिहार कालोनी कुर्सी रोड शंकरपुरवा वार्ड 1 स0 जीवन स्कूल क0 मोड़ स0 लाल बहादुर शास्त्री गर्ल्स कालेज तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.250	30.17	30.17
26	लखनऊ पूर्वी	शेखपुरा में इन्दिरा नगर हास्पिटल क0 बगल में जर्जर सड़क निर्माण	0.350	29.44	29.44
27	लखनऊ पूर्वी	इन्दिरा प्रियदर्शिनी वार्ड में चांदन रोड स0 राम गोपाल मिश्रा जी क0 घर तक (महावीर राजीव सी निकट सुग्गामऊ) सड़क निर्माण	0.400	39.54	39.54
28	लखनऊ पूर्वी	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में डी0क0 मैरिज लान शराब ठेका क0 सामन0 वाली गली में इन्टरलाकिंग कार्य	0.160	21.76	21.76
29	लखनऊ पूर्वी	विष्णुपुरी महानगर में मकान सं-17/1 स0 18/4 श्री अशोक कुमार दुब0 क0 मकान तक व मकान सं0-34/1 स0 33/4 श्री मनोज कुमार बाजपई तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.150	18.19	18.19
30	लखनऊ पूर्वी	विमल नगर इस्माइलगंज-2 वार्ड में ए0क0 इलेक्ट्रानिक स0 श्री हनुमनत कुमार क0 घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	0.150	13.99	13.99
31	लखनऊ पूर्वी	शंकरपुरवा तृतीय में कमला नेहरू नगर में मकान सं0-ए-81 स0 ए-89 व ए-77 स0 आरीफ सिददीकी तक व पार्क क0 आग0 की गली की इन्टरलाकिंग कार्य	0.280	33.74	33.74
32	लखनऊ पूर्वी	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड क0 अंतर्गत राजीव नगर में डी-ए-17 स0 डी-ए-38 तक एवं सुन्दर सिंह विष्ट क0 मकान स0 म0स0-ए-15 राजीव नगर तक सड़क कार्य	0.270	18.50	18.50
33	लखनऊ पूर्वी	विवेकानन्द पार्क सी ब्लाक इन्दिरा नगर क0 सामन0 की सड़क निर्माण	0.280	47.31	47.31
34	लखनऊ पूर्वी	रहीमनगर में पूर्व पार्षद सी ब्लाक स्व0 गिरीश सिंह क0 मकान क0 सामन0 सड़क कार्य	0.150	13.88	13.88
35	लखनऊ पूर्वी	सेक्टर 12 इंगिरा नगर में मकान में मकान सं0-456 स0 487 तक सड़क कार्य	0.250	29.89	29.89
36	लखनऊ पूर्वी	सी ब्लाक इन्दिरा नगर में भवन सं0'1321 स0 डिजीटल सॉल्यूशन तक सड़क कार्य	0.200	18.83	18.83
37	लखनऊ पूर्वी	शंकरपुरवा तृतीय में कमला नेहरू नगर में लकी जूस कार्नर स0 बेनाम प्लाजा तक एवं प्रमोद शुक्ला क0 मकान स0 सांई आधन मकान सं0 ए-3 स0 सी0एम0 बाउण्ड्री तक व मकान सं0 सी-4 सी 66 होत0 हुए मकान सं0 सी-11 तक सड़क कार्य	0.900	96.37	96.37
38	लखनऊ पूर्वी	32-बी आलोक नगर कल्याणपुर में एन्थोनी डाईसन क0 आवास क0 सामन0 इन्टरलाकिंग कार्य	0.150	18.23	18.23
		योग वि0स0 क्षेत्र लखनऊ पूर्व	**4.870**	**499.99**	**499.99**
		योग जनपद लखनऊ	**22.270**	**1986.46**	**1779.60**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन क0 लिय0 किया जायेगा जिसक0 निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन क0 लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करन0 स0 पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत स0 धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना क0 अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in स0 सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा स॰ संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल क॰ माध्यम स॰ की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग क॰ मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करत॰ हुय॰ नियमित रूप स॰ प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों क॰ अनुसार किया जायेगा। कार्यों क॰ लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैस॰ नय॰ कार्य बढ़ाना, कार्यों क॰ आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करन॰ क॰ पूर्व स्थलीय निरीक्षण क॰ उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 क॰ अध्याय-12 क॰ प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था क॰ अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करत॰ हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन स॰ उल्लेखनीय रूप स॰ भिन्न (Significantly different) होत॰ हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर स॰ अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल क॰ विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग क॰ माध्यम स॰ नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो क॰ लिय॰ नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त क॰ अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) क॰ अनुसार किय॰ जायेंगा॥

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किय॰ जान॰ स॰ सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह॰ तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च,2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in स॰ सत्यापित की जा सकती है ।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी।संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-16 से 21 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-1 से 15 तथा 22 से 38 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:37/2019/112(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,लखनऊ।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।